डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 36/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सैलेबी/जीएच/अहमदाबाद/सीपी-III/2021-26/
AERA/20010/MYTP/Celebi/GH/Ahmedabad/CP-III/2021-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

*****

आदेश संख्या 36/2022-23/
Order No. 36/2022-23

ऐरा भवन/AERA Building
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स/Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport
नई दिल्ली/New Delhi – 110003
जारी करने की तारीख: 05.01.2023/Date of Issue: 05.01.2023

सेवा/Service	:	**ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं /Ground Handling Services**
सेवा प्रदाता/Service provider	:	**सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड/ Celebi Ground Handling India Private Limited**
हवाईअड्डाAirport	:	**सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद/ Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (SVPIA), Ahmedabad**
हवाईअड्डा प्रचालक/Airport Operator	:	**अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल)/ Ahmedabad International Airport Limited (AIAL)**

मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में/
In the matter of Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s Celebi Ground Handling India Private Limited at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad from Commercial Operations Date (COD) up to 31.03.2023.

स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रस्तुति

मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएचआईपीएल) ने दिनांक 15.09.2021 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया कि “मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीएएसआईपीएल)” के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम का सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (हवाईअड्डा प्रचालक) द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध चयन प्रक्रिया के माध्यम से 01.04.2021 से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए चयन किया गया था।

2. मैसर्स सीजीएचआईपीएल ने दिनांक 15.09.2022 के अपने पत्र द्वारा रियायत करार की प्रति के साथ-साथ वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव पेश किया है।

3. तत्पश्चात सीजीएचआईपीएल ने दिनांक 01.12.2022 और 08.12.2022 की ई-मेल द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की है :

क) एएआईएल द्वारा जारी दिनांक 08.03.2021 का कार्य सौंपने संबंधी पत्र संख्या एएआईएएल/सीओएमएम/जीएच/सैलेबी/01

ख) एसपीवी "सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" का निगमन प्रमाणपत्र

ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी सुरक्षा अनुमति

4. मैसर्स सीजीएचआईपीएल ने दिनांक 08.12.2022 की ई-मेल द्वारा प्राधिकरण से यह अनुरोध किया है कि अहमदाबाद हवाईअड्डे पर उनके प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए तदर्थ आधार पर उनके द्वारा यथा प्रस्तावित टैरिफ वसूल करने की उन्हें अनुमति दी जाए क्योंकि अहमदाबाद हवाईअड्डे पर प्रचालनों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में थोड़ा समय लगेगा।

प्राधिकरण द्वारा मैसर्स सीजीएचआईपीएल के अनुरोध की जांच

5. प्राधिकरण नोट करता है कि एआईएएल (हवाईअड्डा प्रचालक) ने दिनांक 08.03.2021 का कार्य सौंपने संबंधी पत्र (एलओए) मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट्स सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जारी कर दिया है। दिनांक 13.10.2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित "मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएचआईपीएल)" दिनांक 08 मार्च, 2021 के "कार्य सौंपने संबंधी पत्र" के पैरा ii के संदर्भ में एसपीवी के रूप में कार्य कर रहा है।

6. प्राधिकरण नोट करता है कि दिनांक 30.09.2021 का रियायत करार अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (हवाईअड्डा प्रचालक) और सीजीएचआईपीएल (एसपीवी) के बीच किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि रियायत करार के खंड संख्या 1.1 (ड.) के अनुसार आईएसपी के प्रचालन हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा जारी तैयारी संबंधी प्रमाण पत्र की तारीख से प्रभावी होंगे। इस संबंध में आईएसपी का कहना है कि हवाईअड्डा प्रचालक ने दिनांक 29.11.2022 की ई-मेल द्वारा आईएसपी को अहमदाबाद हवाईअड्डे पर उनके वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की अनुमति दी।

7. प्राधिकरण नोट करता है कि नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के दिनांक 23.09.2022 के पत्र संख्या एवी-24032/184/2022-एएआई-मोका द्वारा नॉन-शेड्यूल्ड प्रचालक परमिट (एनएसओपी) और सामान्य विमानन (जीए) के लिए प्रमुख हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभारों के प्रावधान संबंधी निदेशों के अनुपालन में; मैसर्स सीजीएचआईपीएल ने दिनांक 15.09.2022 के पत्र द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए लगाए जाने वाले मद-वार प्रभार पेश किए।

8. तत्पश्चात, मैसर्स सीजीएचआईपीएल ने बीसीएएस के दिनांक 21.11.2022 के आदेश द्वारा बीसीएएस से अपेक्षित सुरक्षा अनुमति प्राप्त की, जो जारी किए जाने की तारीख से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

9. प्राधिकरण नोट करता है कि आईएसपी द्वारा प्रस्तावित तदर्थ टैरिफ की दरें अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता, अर्थात सीजीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएएसपीएल) के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित टैरिफ की तुलना में कम है। परंतु प्राधिकरण ने मद-वार टैरिफ दर कार्ड के मामले में देखा कि मैसर्स सीजीएचआईपीएल की कुछ सेवाओं की प्रस्तावित दरें उसी हवाईअड्डे पर मैसर्स जीबीएएसपीएल नामक अन्य सेवा प्रदाता के लिए अनुमोदित दरों की तुलना में उच्चतर है। अत: प्राधिकरण मद-वार टैरिफ दर कार्ड के लिए दरों को मानने का निर्णय लेता है।

10. प्राधिकरण सीजीएचआईपीएल के अनुरोध की जांच करने के बाद यह नोट करता है कि परामर्श पत्र और टैरिफ आदेश जारी करने सहित सरदार वल्लभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्राक्रिया के पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा।

11. इसलिए प्राधिकरण, अंतरिम व्यवस्था के रूप में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन शीघ्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता है; सीजीएचआईपीएल को **प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से 31.03.2023 तक** या ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, **संलग्नक (I, II और III)** के अनुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा यथा प्रस्तावित/प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिए अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

12. स्वतंत्र सेवा प्रदाता को सलाह दी जाती है कि वह सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए प्राधिकरण को प्रचालन प्रारंभ करने की वास्तविक तारीख के बारे में सूचित करें।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएचआईपीएल) को **वाणिज्यक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2023** तक, या स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, सरदार वल्लभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए संलग्नक (**I, II** और **III**) के अनुसार तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि मद-वार प्रभार सहित अंतरदेशीय नॉन-शेडयूल्ड और सामान्य विमानन के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान (नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(v) मैसर्स सीजीएचआईपीएल ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(vi) मैसर्स सीजीएचआईपीएल नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021–एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(vii) इसमें निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(viii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री लक्ष्मण के प्रसाद,
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ),
सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
कमरा संख्या सीई-01, इंपोर्ट बिल्डिंग 2,
इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110037

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, एआईएएल, हंसोल, अहमदाबाद, गुजरात –भारत- 380003